भारत के 50वें चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़

- राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ को देश का अगला मुख्य न्यायाधीश (CJI) नियुक्त कर दिया गया है।
- जस्टिस चंद्रचूड़ 9 नवंबर 2022 को भारत के 50वें चीफ जस्टिस के रूप में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के समक्ष शपथ ग्रहण करेंगे और देश के मुख्य न्यायाधीश का कार्यभार संभालेंगे।
- डीवाई चंद्रचूड़ का कार्यकाल 10 नवंबर 2024 तक रहेगा।
- डीवाई चंद्रचूड़ 49वें चीफ जस्टिस यूयू ललित का स्थान लेंगे, जो 8 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं।
- जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ का पूरा नाम जस्टिस धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ है। न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ 13 मई 2016 को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किये गये थे।
- उनके पिता जस्टिस वाई.वी. चंद्रचूड़ भी CJI रह चुके हैं। वाई.वी. चंद्रचूड़ के नाम सबसे लंबे समय तक (1978 से 1985) CJI रहने का रिकॉर्ड है।
- भारत के सर्वोच्च न्यायालय के सात दशक से अधिक लंबे इतिहास में यह पहला मौका है जब पिता-पुत्र दोनों ही इस पद पर आसीन हुए है।

जस्टिस चंद्रचूड़ के महत्वपूर्ण फैसले

जस्टिस चंद्रचूड़ ने सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश रहते हुए कई महत्वपूर्ण मामलों में अहम् फैसले दिए है जिनमे से कुछ प्रमुख निम्नलिखित है -

1. नॉएडा ट्विन टावर मामला
2. एडल्ट्री लॉ पर फैसला
3. हादिया केस
4. निजता का मामला - मौलिक अधिकार
5. अविवाहिता को अबॉर्शन का अधिकार

BYJU'S EXAM PREP

कॉलेजियम सिस्टम:

- कॉलेजियम ही सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति और उनके नाम की सिफारिश केंद्र सरकार से करता है।
- सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम में 5 सदस्य होते हैं। जिसमे CJI प्रमुख होता है, इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश होते हैं।
- वर्तमान में कॉलेजियम के सदस्यों में CJI यूयू ललित, जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़, जस्टिस एस.के. कौल, जस्टिस एस. अब्दुल नजीर और जस्टिस के.एम जोसेफ शामिल हैं।